न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–राजेश सुवालका (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–25/2021 (2021/52) दर्ज दिनांक 27.01.2021

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट

शीर्षक

1. कन्हैयालाल आत्मज मोतीलाल महाजन
2. चांदमल आत्मज मोतीलाल महाजन
3. हस्तीमल आत्मज मोतीलाल महाजन

सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीगण

बनाम

1. अशोक कुमार आत्मज मोहनलाल सुराणा महाजन
2. फतेहलाल आत्मज मांगीलाल सुराणा महाजन
3. श्रीमती कंकु पत्नि गोपीलाल माली
4. नानुराम आत्मज अमरचंद जाट
5. श्रीमती कनी पत्नि रामा बैरवा
6. हगामी पत्नि मोहन बैरवा

सर्व निवासी सहाड़ा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

7. शंकरलाल आत्मज मीठुलाल सुराणा महाजन
8. महेन्द्र कुमार आत्मज मीठुलाल सुराणा महाजन
9. पवनकुमार आत्मज मीठुलाल सुराणा महाजन

सर्व निवासी ऊपरडा तहसील राशमी जिला चितौड़गढ़।

–विपक्षीगण

उपस्थिति– अधिवक्ता प्रार्थीगणः– श्री रितेश राणवा

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 ::

निर्णय दिनांकः–01.10.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम शंकरपुरा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2278 रकबा 0.10 हे0, 7668/2042 रकबा 0.11 हे0 भूमि कुल किता 02 कुल रकबा 0.21 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 217 पर दर्ज होकर स्थित है। जिसकी [illegible] जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 संलग्न हैं। प्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि [illegible] किये जाने की इस्तदुआ की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.11.22 12:27:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षीगण को विधिवत् [illegible] पत्र जारी किया जाकर सूचित किया गया। विपक्षी संख्या 1 लगायत 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा विपक्षी संख्या 7 से 9 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाही गई। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

बाद सुनवाई मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। प्रार्थना पत्र के अवलोकन व गहन मनन के खातेदार को अपनी सीमा का ज्ञान होना व पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल0आर0एक्ट को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम शंकरपुरा पटवार हल्का सहाड़ा तहसील सहाड़ा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 2278 रकबा 0.10 हे0, 7668/2042 रकबा 0.11 हे0 भूमि कुल किता 02 कुल रकबा 0.21 हे0 भूमि अन्य आराजियात के साथ राजस्व खाता संख्या 217 पर दर्ज होकर स्थित हैं। भूमियों का बसामलात पक्षकारान के पत्थरगढ़ी की जाने के आदेश किये जाते हैं, **उक्त भूमि में दोनों पक्षों की उपस्थिति में किसी को बिना बेदखली एवं बिना किसी के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी किये पत्थरगढ़ी की जावें। यदि पत्थरगढी के उपरान्त किसी का प्रतिकूल कब्जा पाया जाता हैं तो धारा 183 आर.टी.ए. के तहत वाद पेश करने के लिए पाबंद किया जावें।** प्रार्थीगण बतौर पत्थरगढी शुल्क राशि 450/– (चार सौ पचास रू. मात्र) राजकोष में जमा करावें तथा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस राशि 450– (चार सौ पचास रू. मात्र) सम्बन्धित भु–अभिलेख निरीक्षक को मौके पर प्रार्थीगण अदा करें। पालनार्थ तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 01.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश सुवालका)
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर(भीलवाड़ा) 2.

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Suwalka
Date: 2021.11.22 12:27:12 IST
Reason: SelfAttested